<u>R.C.T. No./ 9936 / 2026</u>

<u>State of M.P. V/ S Manoj Kumar Singh Somavanshi & others</u>

<u>न्यायालय –शरद जायसवाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, भोपाल म0प्र0</u>

Registration No. 9936-2026

Filling No. 32564-2026

CNR No. MP0401-039209-2026
Filling Date-10-08-2026

मध्य प्रदेश राज्य,
द्वारा थाना बागसेवनिया, भोपाल म0प्र0

––– अभियोजन

विरूद्ध

1. मनोज सिंह कुमार सोमवंशी पिता स्व0 श्री संत प्रकाश सिंह सोमवंशी,
आयु–53 वर्ष, निवासी–म.नं. 55, 56 सुपर डीलक्स मीनाल कॉलोनी
जे.के. रोड, भोपाल म.प्र.

2. प्रशांत मानेश्वर उर्फ कपिल पिता श्री श्रीचंद मानेश्वर,
आयु–26 वर्ष, निवासी–म.नं. जी–3 विनायक परिसर
80 फिट रोड बागमुगालिया, बागसेवनिया भोपाल म.प्र.

3. अंकुर दत्ता पिता श्री राकेश कुमार दत्ता,
आयु–41 वर्ष, निवासी–म.नं. 68 प्रियदर्शनी प्रिस्टिंग सलैया
राजीव गांधी कॉलेज के पीछे कोलार रोड, भोपाल म.प्र.

4. अनिल कुमार पहलाजानी, पिता श्री लीलामल पहलाजानी,
आयु 57 वर्ष, निवासी–म.नं. 39 न्यू एमएलए कॉलोनी
जवाहर चौक, भोपाल म.प्र.

–––अभियुक्तगण

पुलिस थाना बागसेवनिया भोपाल के अप0क्र0 193/2026 अपराध अंतर्गत धारा 318(4), 316(2), 338, 336(3), 340(2), 296(बी), 351(2), 61(2), 111(4) बी.एन.एस. से उद्भूत प्रकरण।

// उपार्पण आदेश //
(आज दिनांक 20.08.2026 को पारित किया गया)

1– इस आदेश द्वारा हस्तगत प्रकरण भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 धारा–232 के अंतर्गत माननीय सत्र न्यायालय भोपाल की ओर उपार्पित किया जा रहा है।

2– अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी राहुल देव गौतम के साथ अभियुक्तगण द्वारा जितेन्द्र नाम व्यक्ति के फ्लेट नं. 105, ज्योति हाईट्स, कोलार रोड, भोपाल को अपना बताकर 12,15,000/–रूपये में विक्रय कर रजिस्ट्री कराकर धोखाधड़ी की गई है। अभियुक्तगण द्वारा फरियादी को इरा हाईट्स प्रायवेट लिमिटेड के माध्यम से एक पजेशन लेटर भी दिया गया फरियादी द्वारा अभियुक्त मनोज अग्रवाल से अपने पैसे या फ्लेट के बारे में पूछे जाने पर गाली–गलौच, मारपीट व जान से मारने की धमकी दी जाती है। फरियादी की ई–एफआईआर पर से थाना बागसेवनिया द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध क्रमांक–193/2026 अंतर्गत धारा–318(4), 316(2), 338, 336(3), 340(2), 296(बी), 351(2), 61(2) बी.एन.एस. में लेखबद्ध की गयी। विवेचना के दौरान धारा 111(4) बी.एन.एस. का इजाफा किया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किये गये, जप्ती की कार्यवाही कर जप्ती पत्रक तैयार किये गये। अभियुक्तगण के मेमोरेंडम कथन एवं फरियादी व साक्षीगण

के कथन लेखबद्ध किये गये। अनुसंधान पूर्ण होने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 318(4), 316(2), 338, 336(3), 340(2), 296(बी), 351(2), 61(2), 111(4) बी.एन.एस. का अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रकरण में अन्य अभियुक्तगण मनोज अग्रवाल, ओमवीर मीना के विरूद्ध धारा 193(9) बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत विवेचना जारी रखी गई है।

3— प्रकरण में भा.न्या.सं. की धारा 111(4) का अपराध अनन्यतः सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। अतः यह प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय भोपाल को उपार्पित किया जाता है।

4— अभियुक्तगण को धारा 230 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत अभियोग पत्र एवं उसके साथ संलग्न समस्त दस्तावेजों की प्रतियां दी जा चुकी है।

5— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति है।

6— अभियुक्तगण का धारा 468 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंतर्गत प्रमाण पत्र तैयार कर संलग्न किया जावे।

7— प्रकरण के उपार्पण की सूचना जिला लोक अभियोजक भोपाल तथा जप्तशुदा मुद्देमाल के संबंध में नाजिर मालखाना को भेजी जावे।

8— अभियुक्तगण मनोज कुमार सिंह सोमवंशी, प्रशांत मानेश्वर उर्फ कपिल, अंकुर दत्ता, अनिल कुमार पहलाजानी जेल में निरूद्ध हैं। केंद्रीय जेल अधीक्षक, भोपाल को निर्देशित किया जाता है कि अभियुक्तगण को दिनांक 27.08.2026 को सुबह 11:00 बजे माननीय सत्र न्यायालय भोपाल के समक्ष आवश्यक रूप से उपस्थित रखें।

9— तदानुसार प्रकरण का परिणाम दर्ज होकर प्रकरण संधारित कर पेशी दिनांक के पूर्व माननीय सत्र न्यायालय को प्रेषित किया जावे।

उपार्पण आदेश खुले न्यायालय में पारित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया

शरद जायसवाल
न्यायिक मजि0 प्रथम श्रेणी
भोपाल म0प्र0

शरद जायसवाल
न्यायिक मजि0 प्रथम श्रेणी
भोपाल म0प्र

SHARAD JAISWAL Digitally signed by SHARAD JAISWAL Date: 2026.08.21 17:32:59 +0530